


तारीख
क्रम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

09.09.25

पत्रापत्नी पेश। मूलवाद अदम
हाजिरी एवं अदम फीकी के तहत
स्वारिज किया जा चुका है। अतः
प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही
बंद की जाती है। पत्रापत्नी नम्बर
से कम होकर वाद पूर्ति मूलवाद
के साथ संलग्न हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

09.09.2025

पत्रावली पेश। वकीलवादी व स्वयंवादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलाई गई किन्तु वकीलवादी व स्वयंवादी अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पेशी में खारिज की जाती है। प्रकरण पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा हो।

31
500